



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

No. 160]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सा.का.नि. 295(अ).— केन्द्रीय सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में:

(1) खंड (क क) का लोप किया जाएगा,

(2) इस प्रकार लोप किए गए खंड के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

“(क ख) “कोल बेड मिथेन” कोल या लिग्नाइट में पाए जाने वाले बोर छिद्रों से अभिप्राप्त और मूलतः हाइड्रोकार्बनयुक्त प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है।

(क ग) "संघनित से संघनन या निष्कर्षण के माध्यम से प्राकृतिक गैस से अभिप्राप्त कम वाष्प दाब के हाइड्रोकार्बन, जो सामान्य सतही ताप और दाब की दशाओं में तरल रूप में हैं, अभिप्रेत हैं।

(क घ) "महाद्वीपीय मग्नतट भूमि" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित, राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में उसका है।

(क ड) "संविदा" से संगत क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन और/या कोल बेड मिथेन की खोज और उसके संदोहन के संबंध में, भारत सरकार और किसी अन्य पक्षकार के बीच किया गया करार" अभिप्रेत है।",

(3) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) "अपरिष्कृत तेल" से परिष्कृत या अन्यथा अभिक्रियित करने से पूर्व द्रव विस्कोस या ठोस रूप में अपनी प्राकृतिक स्थिति में पेट्रोलियम अभिप्रेत है, जिससे जल और विजातीय पदार्थ निकाल दिए गए हों"

(4) खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग क) "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में उसका है।"

(5) खंड (ड) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड क) "गैस हाइड्रेट्स" से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल अणुओं से संघटित ठोस", जो पंजरों के मजबूत जालक बन जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्राकृतिक गैस के अणु अंतर्विष्ट हों, अभिप्रेत हैं।

(6) खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ क) 'हाइड्रोकार्बन', से हाइड्रोजन और कार्बन का कोई कार्बनिक यौगिक" अभिप्रेत है।

(7) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) "प्राकृतिक गैस" या "गैस" से बोर छिद्रों से अभिप्राप्त और मूलतः हाइड्रोकार्बन युक्त गैस अभिप्रेत है, इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बनों के साथ प्राप्त हेलियम शामिल नहीं है।

(8) खंड (थ थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(थ थ) “राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड” का वही अर्थ है जो समय-समय पर यथासंशोधित राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में उसका है।”

3. उक्त नियमों में नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (1) में “राज्य क्षेत्रीय सागर-खण्ड या “महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, शब्दों के पश्चात “या अनन्य आर्थिक क्षेत्र” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 6 के उप-नियम (1) में:-

(1) खंड (1) में “10,000/-रुपए (दस हजार रुपए)” अंक और शब्द के स्थान पर 25,000/-रुपए (पच्चीस हजार रुपए)” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(2) खंड (2) में “25,000/-रुपए (पच्चीस हजार रुपए)” अंक, शब्द और कोष्ठक के स्थान पर 50,000/-रुपए (पचास हजार रुपए)” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 7 में:-

(1) खंड (1) में “भूमि” शब्द के स्थान पर “क्षेत्र” शब्द रखा जाएगा।

(2) खंड (2) में “भूमि” शब्द के स्थान पर “क्षेत्र” शब्द रखा जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में “संयंत्र” शब्द और “उपस्कर” शब्द के पश्चात, क्रमशः “प्लेटफार्म” शब्द और “और अन्य सुविधाएं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 10 में “प्रत्येक एक वर्ष” शब्द के पश्चात “करार के अधीन दी गई अन्वेषण अवधि (अवधियों) की समाप्ति तक, यदि कोई हो, या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट” न हो, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 11 में:-

(1) उप-नियम (1) में, “50,000/-रुपए (पचास हजार रुपए)” शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर “1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए)” शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर रखे जाएंगे।

(2) उप-नियम (2) के खंड (1) से (5) तक के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

- “(1) पहले वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 50/- (पचास)
- (2) दूसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 100/- (एक सौ)
- (3) तीसरे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 500/- (पांच सौ)
- (4) चौथे वर्ष की अनुज्ञप्ति के लिए रु. 700/- (सात सौ)
- (5) नवीकरण के प्रत्येक पश्चात्पूर्व वर्ष के लिए रु. 1000/- (एक हजार)”

8. उक्त नियमों में, नियम 12 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक “साधारणतः 20 वर्ष किया जाएगा” शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह पट्टे के लिए किसी आवेदन के संबंध में पूर्वोक्त क्षेत्र की बाबत, अधिसूचना द्वारा शर्त को शिथिल कर सकती है।”

9. उक्त नियमों के नियम 13 में:-

(क) उप-नियम (1) में:-

(1) खंड (क) में “1,00,000/-रुपए (एक लाख रुपए)” अंक, शब्द और कोष्टक के स्थान पर “2,00,000/-रुपए (दो लाख रुपए)” अंक, शब्द और कोष्टक रखे जाएंगे।

(2) खंड (ख) में अंक, शब्द और कोष्टक “10,000/-रुपए (दस हजार रुपए)” के स्थान पर “30,000/-रुपए (तीस हजार रुपए)” अंक, शब्द और कोष्टक रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (क) में “12.50 रुपए अंक और शब्द के स्थान पर 25.00 रुपए (पच्चीस रुपए) और 25.00 रुपए अंक और शब्द के स्थान पर 50.00 रुपए (पचास रुपए) रखे जाएंगे।

10. उक्त नियमों के नियम 14 के उप नियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (2) में:-

(1) “1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च, 1993 तक चार सौ इक्यासी रुपए प्रति क्यूबिक टन अपरिष्कृत तेल और केसिंग शीर्ष कंडेनसेट तथा पट्टाधारी द्वारा अभिप्राप्त की गई प्राकृतिक गैस के कूपशीर्ष पर मूल्य का दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे:-

“समय-समय पर अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनन, उत्खनन, खुदाई या एकत्र करके निकाले गए खनिज तेल के संबंध में राजस्व। राजस्व का संदाय जैसा पट्टे में उपबंध किया गया हो उस आधार पर मासिक आधार पर किया जाएगा और जिस अवधि में यह संदेय है उस अवधि के पश्चात् आने वाले माह की अंतिम तारीख तक इसका संदाय किया जाएगा।”

(2) “कंडेनसेट, प्राकृतिक गैस” शब्दों के पश्चात् “कोल बेड मिथेन या हाइड्रेट से अभिप्राप्त गैस” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों के नियम 15 में, “सर्वेक्षण या पुनर्सर्वेक्षण” शब्दों के पश्चात् “10000/- रुपए (दस हजार रुपए) फीस या शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 17 में उपबंध को उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपबंध के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“परन्तु जहां अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी और केन्द्रीय सरकार के बीच किसी संविदा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसमें यथास्थिति, अंतरण अथवा समनुदेशन वह संविदा के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होगा और ऐसी संविदा में अधिकथित रीति से प्रभावी होगा।”

(2) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् एक नया उप-नियम (2) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् यथास्थिति अनुज्ञप्ति या पट्टा अंतरिती या समनुदेशिती के नाम में अंतरण या समनुदेशन की सीमा तक अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप में, उस तारीख से जिसको अंतरण या समनुदेशन हुआ हो, जारी किया जाएगा।”

उक्त नियमों के नियम 19 के खंड (क) और (ख) में “भूमि” शब्द के स्थान पर “क्षेत्र” शब्द रखा जाएगा।

14. उक्त नियमों के नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम 19क अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“19क प्राकृतिक गैस से हीलियम की प्राप्ति :

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात या अनुज्ञप्ति या पट्टा या संविदा के निबंधन, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को उस हीलियम, जो प्राकृतिक गैस से उत्पादित की जा सकेगी, का उपयोग करने या विक्रय करने या अन्यथा व्ययन करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और अनुज्ञप्तिधारी (पट्टाधारी)

(2) यदि पट्टाधारी खनन कार्य जारी न रखने का विकल्प देता है या पट्टाकृत क्षेत्र का भागतः रूप से या पूर्ण रूप से परित्याग करने का विकल्प देता है या पट्टे का पर्यवसान किया जाना हो तो पट्टाधारी केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित त्याग योजना के अनुसार पट्टे के पर्यवसान या रद्द होने पर क्षेत्र को सही हालत में करने के पश्चात परिदत्त कर देगा। तथापि पट्टाधारी को, यथास्थिति आशयित त्यजन या पर्यवसान की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी कार्रवाई और उपाय समाविष्ट करते हुए एक परित्याग योजना सहित लिखित सूचना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(3) इन नियमों के अधीन किसी खनन पट्टे के रद्द किए जाने पर पट्टेदार ऐसे पट्टे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को उसे परित्यजन योजना के अनुसार, जो स्थापित अन्तर राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार तैयार की गई हो और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो, ठीक और पूर्ववत् स्थिति के आने के पश्चात परिदत्त किया जाएगा।

(4) किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अवधारण या रद्दकरण या त्यजन पर, यथास्थिति, ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे का धारक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के समाधान प्रद रूप में मानव जीवन, सम्पत्ति, पर्यावरण, समुद्री संसाधनों या नौवहन के पारिणामिक परिसंकटों के निवारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी अनुज्ञप्ति या पट्टाधृत क्षेत्र के पर्यवसान या रद्दकरण या त्यजन से पूर्व पेट्रोलियम, भंडार, उपस्कर, औजार और मशीनरी ऐसे क्षेत्र को पुनः सौंपने के छह मास के भीतर हटाएगा और उसका व्ययन करेगा।

(6) यदि ऐसा पेट्रोलियम, भंडार उपस्कर, औजार, मशीनरी और सुधार हटाए या व्ययन नहीं किए जाते और अनुज्ञप्ति या पट्टे के पर्यवसान, त्यजन या रद्दकरण से पूर्व छह मास के भीतर वह क्षेत्र सही और ठीक स्थिति में नहीं लाया जाता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे पेट्रोलियम, भंडार उपस्कर, औजार, मशीनरी को हटाएगी और उसका व्ययन करेगी और क्षेत्र का अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी को जोखिम और लागत पर पुनरुद्धार करेगी।

(7) ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम, तब तक, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारित किए जाएंगे जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा उनके लिए आवेदन नहीं किया जाता और अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता।"

18. उक्त नियमों के नियम 23 के उपनियम (1) में, "जिस माह या उसके भाग में ऐसी फीस, स्वामित्व या अन्य संदाय असंदत्त रहता है ऐसे प्रत्येक माह के लिए दस प्रतिशत" के स्थान पर "विलम्बित अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम उधारी दर पर 200(दो सौ) मूल प्वाइंट की शास्ति दर" शब्द रखे जाएंगे।

19. उक्त नियमों के नियम 24 के उपनियम (1) में खंड (क) में "भूमि" शब्द के स्थान पर "क्षेत्र" शब्द रखा जाएगा।

20. उक्त नियमों के नियम 25 में "प्राकृतिक गैस" शब्द के स्थान पर "तेल या गैस या कोल बेड मिथेन या गैस हाइड्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

21. उक्त नियमों के नियम 27 में "प्राकृतिक गैस या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तेल या, गैस या कोल बेड मिथेन या गैस हाइड्रेट से गैस" शब्द रखे जाएंगे।

22. उक्त नियमों के नियम 28 में (i) "या अनुज्ञप्तिधारी", (ii) "या अनुज्ञप्त", (iii) "अनुज्ञप्तिधारी या किसी अनुज्ञप्ति या पट्टे में जो क्षेत्र शामिल नहीं है", (iv) "या अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों के पश्चात् कमशः (i) "पट्टेधारी द्वारा प्रचालित", (ii) "अनुज्ञप्त क्षेत्र की सीमा," (iii) "अन्य पट्टेधारी द्वारा" तथा (iv) "पट्टेधारी द्वारा अपेक्षित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

23. उक्त नियमों के नियम 29 में "स्तर वाली गैस या दोनों" शब्दों के स्थान पर "तेल वाली या दोनों या स्तर वाली गैस या कोल बेड मिथेन या हाइड्रेट वाली गैस" शब्द रखे जाएंगे।

24. उक्त नियमों के नियम 30 के खंड (vi) में "ऐसे निलंबन" शब्दों के पश्चात् "राज्य सरकार को सूचित करते हुए" अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

25. उक्त नियमों के नियम 32 क में "नियम 14, नियम 19" शब्दों के पश्चात्, "नियम 21" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

26. उक्त नियमों के नियम 33 के उप नियम (घ) में "एक सरकार द्वारा नामित तथा दूसरा अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा नामित, दो मध्यस्थों द्वारा या मध्यस्थों में असहमति की दशा में मध्यस्थता की कार्यवाही आरम्भ होने से पहले अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में नियुक्त अधिनिर्णायक द्वारा निपटाया जाएगा। मध्यस्थ या अधिनिर्णायक यह भी निर्णय करेंगे कि कौन सा पक्ष मध्यस्थता के व्यय को वहन करेगा या क्या इस व्यय को दोनों पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा और यदि हां तो कितना—कितना वहन किया जाएगा। मध्यस्थ या अधिनिर्णायक, जैसी भी स्थिति हो, समय—समय पर संविदा के सभी कारों की सहमति से पंचाट तैयार करने में समय अवधि बढ़ा सकते हैं, परंतु यह तब जब कि ऊपर उल्लिखित माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध और उसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त नियम इस खण्ड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही को लागू हों" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे:—

"माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम 1996 और तदधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों से कार्यवाहियों पर उसी प्रकार जैसे कि वे इन कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, से सुलझाए जाएंगे।"

27. उक्त नियमों में एक नया नियम 35 निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"35. कतिपय नियमों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति :

(i) जहाँ ऐसा करना लोक हित में हो वहाँ केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा - 12 के

अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुज्ञापिधारी या पट्टेदार को नियम 6 (i) तथा (ii), नियम 11 के उपनियम (1) तथा (2) या नियम 13 के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(ii) - केन्द्रीय सरकार, उप नियम (i) के अंतर्गत आनलैण्ड क्षेत्रों के संबंध में छूट मंजूर करने के मामले में, राज्य सरकार से परामर्श कर सकेगी।

[सं. ओ-22013/1/2001-ओ एन जी-III]

ज. मो. माऊसकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (Act No. 53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend The Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, as amended from time to time, namely:—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (hereinafter to be referred as the said rules), in rule 3:

- (i) clause (aa) shall be omitted;
- (ii) after the clause so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:

“(ab) ‘coal bed methane’ means natural gas obtained from bore holes occurring in coal or lignite seams and consisting primarily of hydrocarbons.

(ac) ‘condensate’ means those low vapour pressure hydrocarbons obtained from natural gas through condensation or extraction which are in the form of liquid at normal surface temperature and pressure conditions.

(ad) ‘continental shelf’ shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 as amended from time to time.

(ae) ‘contract’ means an agreement entered into between the Government of India and any other party in relation to exploration and exploitation of hydrocarbon and/or coal bed methane for relevant area.”;

- (iii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

95461/03-2